## राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : राम/भूअ/LRC/प–84/586–1008 दिनांक : 20–01–06

1. तहसीलदार (समस्त) राजस्थान
2. उप पंजीयक -------, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, -------
   राजस्थान (समस्त)
3. अतिरिक्त/उप तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक ------,
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, -------- राजस्थान (समस्त)

### नामान्तरकरण प्रक्रिया – प्रभावी नियन्त्रण

1– प्रायः यह देखा गया है कि नामान्तरकरण का निस्तारण जिस शीघ्रता के साथ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । इस हेतु समय सीमा निर्धारित है परन्तु उस सीमा के अन्दर बहुत कम नामान्तरकरण सम्पन्न होते है । इस देरी के कारण काश्तकारों के लिये परेशानियाँ एवं कई बार कानूनी पैचिदगियाँ भी बढ़ती है । अतः इस स्थिति में सुधार लाने के लिये बेहतर होगा कि कुछ ऐसे नामान्तरकरण जिनमें कि पंजीकृत दस्तावेज या न्यायालय का आदेश आधार है तो ऐसे नामान्तरकरण को सीधा ही तहसील स्तर पर डील किया जाय । इस हेतु निम्न निर्देश पारित किये जाते है :–

(i) उप पंजीयक कार्यालय में निम्न श्रेणी के दस्तावेज पंजीकृत होने पर उसकी एक सूची सीधे तहसीलदार को भेजी जाय ।

(ii) इस प्रकार प्राप्त सूची पर तहसीलदार नामान्तरकरण खोलने के आदेश देकर सूची कम्प्यूटर ऑपरेटर (एलआरसी रिपोर्स परसन) को कम्प्यूटर में दर्ज करने हेतु आदेश दिये जाय ।

(iii) कम्प्यूटर ऑपरेटर इस सूची एवं तहसीलदार के आदेश के आधार पर निम्न नोट जमाबन्दी के रिमार्क्स कॉलम में दर्ज करे :–

| |
|---|
| इस खाते की भूमि/भूमि में से खसरा नम्बर ----- क्षेत्रफल ----- ए द्वारा बी के पक्ष में पंजीयन विक्रय पत्र द्वारा बेचान दिनांक -------- को किया गया, जिस पर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही की जा रही है । |

अथवा

| |
|---|
| इस खाते में से खसरा नम्बर ------- क्षेत्रफल ------- भूमि ------- बैंक को पंजीकृत दस्तावेज द्वारा दिनांक -------- को रहन रख दी गई है । रहन का नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही की जा रही है । |

2– नोट लगाने के बाद पटवारी को निर्देशित किया जायेगा कि वे नामान्तरकरण खोलकर सक्षम स्तर से तस्दीक करवावें ।

3– ऐसे प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक पटवार मिटिंग में की जाय एवं लम्बित प्रकरणों का रिकार्ड एलआरसी कम्प्यूटर में रखा जाय ।

4– उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज की सूचना भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 141 में प्रावधान है एवं यह सूचना निम्न प्रारूप में पढाई जाय ।

| क0सं0 | गांव का नाम जहॉ जमीन स्थित है | अन्तरण (allenation) की किस्म एवं क्षेत्रफल, खेत नम्बर मुन्तकिल जमीन की जमाबन्दी खाता नम्बर एवं यदि भवन, किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार भू सम्पदा का ब्यौरा | दस्तावेज में दर्ज प्रतिफल (बदल) की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| दस्तावेज निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम एवं निवास स्थान | उस व्यक्ति का नाम एवं निवास स्थान जिसकी जमीन हस्तान्तरित की गई है | रजिस्ट्रेशन की संख्या एवं तारीख जिसके जरिये जमीन हस्तान्तरित की गई | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. |

5– जहॉ स्वतन्त्र उप पंजीयक कार्यरत है वहॉ यह सूचना प्रत्येक सोमवार को भेजी जाय एवं अन्य उप पंजीयक कार्यालय से यह सूचना प्रति माह 15 एवं 30 तारीख को भेजी जाय ।

6– इसके आकड़ों का लेखा–जोखा प्रत्येक तहसील द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से राजस्व मण्डल को भेजा जाय, जहॉ पर इसकी मॉनिटरिंग की जाय ।

कोर्ट केसेज

7– कृषि भूमि से सम्बन्धित अदालती मुकदमों के कारण भी नामान्तरकरण खोलने होते है । ऐसे नामान्तरकरण सीधे तहसील द्वारा डील किये जाय । इस हेतु निम्न निर्देश पारित किये जाते हैं :–

समस्त राजस्व न्यायालय जहॉ केस के निर्णय से कोई नामान्तरकरण खोला जाना हो उस हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को एक पत्र जारी करेगा । जिसमें कि तहसीलदार को निर्देशित किया जावें कि निम्न भूमि का नामान्तरकरण ए के बजाय बी के पक्ष में

खोला जाय एवं नामान्तरकरण खोलकर न्यायालय को सूचित किया जाय । ऐसे पत्र में निम्न सूचना दी जाय :-

- वर्तमान खातेदार का नाम
- खसरा नम्बर, क्षेत्रफल
- जिस व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाना है उसका नाम एवं भूमि विवरण
- नये नाम जिसके पक्ष में नामान्तरकरण खोलना है, उसकी हैसियत (खातेदार/गैर खातेदार या अन्य)

8- तहसील के कार्यालय में पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा बताये अनुसार कम्प्यूटर जमाबन्दी में नोट लगाया जाय एवं पटवारी को नामान्तरकरण खोलकर तस्दीक कराने हेतु निर्देशित किया जाय ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

कमांक : राम/भूअ/LRC/प-84/1009-1049 दि0 : 20-01-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हेतु है :-

1. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पत्रानुसार समस्त उप पंजीयकों से पालना सुनिश्चित करावें ।
3. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर-318, उत्तर-पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया सोफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करावें ।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि कृपया समस्त तहसीलदारों से पालना सुनिश्चत करावें ।

उप निबन्धक (भू अभिलेख)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर